न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 157 / 2023

प्रार्थी :– दीपसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी रेवाडा जेतमाल तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सुआ कंवर पत्नी भंवरसिंह
2. पेपसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. भोपालसिंह पुत्र भं...
4. मोहनसिंह पुत्र अनो...
5. हरिसिंह पुत्र अनोपसिंह
6. मोहनसिह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी रेवाडा जेतमाल, तह.पचपदरा, जिला बाडमेर।
7. छोगाराम पुत्र फारसराम
8. जसकी पत्नी फारसराम
9. पोलाराम फारसराम सभी जाति मेघवाल, निवसी रेवाडा जेतमाल, तह0 पचपदरा, बाडमेर ।
10. लूणसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवसी रेवाडा जेतमाल, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर
11. लिखमाराम पुत्र शेराराम
12. हेमाराम पुत्र शेराराम, जाति चौधरी, निवासी रेवाडा जेतमाल, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर।
13. पुरखाराम पुत्र हरीराम
14. सालगराम पुत्र हरीराम जातियान चौधरी, निवासी थोब

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:00:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

15. राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार

16. राज. सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, तहसील बाड़मेर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :–

1. श्री कपिल श्रीमाली , प्रार्थीगण अधिवक्ता

2. विप्रार्थीगण :– एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :– 18.7.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा रेवाडा जेतमल, पटवार हल्का रेवाडा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र थोब, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 439/60 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 60 क्षेत्रफल 11.905[illegible] हैक्टेयर [illegible]। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थी संख्या 7 व 12 उपस्थित, प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे सहमती प्रस्तुत की गयी। शेष विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी । वकील प्रार्थी ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा रेवाडा जेतामल,

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:00:02 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का रेवाडा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 439/69 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 60 क्षेत्रफल 11.9058 हैक्टेयर भूमि मे आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है. प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रेवाडा जेतामल, पटवार हल्का रेवाडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 439/60 रकबा 1. 6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 60 क्षेत्रफल 11.9058 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

हमने वकील प्रार्थी वकील की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा रेवाडा जेतामल, पटवार हल्का रेवाडा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 439/60 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 60 क्षेत्रफल 11.9058 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीगण हक़दार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:00:02 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रेवाड़ा जेतामल, पटवार हल्का रेवाड़ा, भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र थोब, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 439/60 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 60 क्षेत्रफल 11.9058 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर नेखमबंदी की जावे कमिश्नर फीस 1500/–प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 18.07.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

18.7.2023

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:00:02 IST
Reason: SelfAttested